न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

प्रार्थी

1. जोगाराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी– खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी

1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 128/2022

उपस्थिति:–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 12/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर, निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम खाखरा पटवार क्षेत्र खोखरा भू.अ.निरीक्षक बगड़ी नगर तहसील सोजत में प्रार्थी के पिता पुखराज पुत्र जोराराम जी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 624 रकबा 1.7200 हैक्टर खातेदारी की आई हुई स्थित है, जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भमि प्रार्थी के पिता पुखराज पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त कृषि भूमि के गत खसरा संख्या 104 थे। सेटलमेंट के समय श्रीमान उक्त कृषि भूमि जोरा वल्द रूपा कौम सीरवी के नाम से दर्ज चली आ रही थी तथा सेटलमेंट के दौरान जोरा बल्द रूगा के स्थान पर उनके पुत्र पुखाराम वल्द जोराराम के नाम दर्ज किया गया था, उस समय सहवन से एवं भुलवश कौम सीरवी के स्थान पर कौम जाट दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। सेटलमेंट दौरान भू.प्रबंध एवं सहायक भू. अभिलेख अधिकारी के समक्ष पत्रावली संख्या 545/77 फैसला दिनांक 16.07.1977 के तहत खसरा संख्या 624 पुखाराम पुत्र जोराराम कौम सीरवी के नाम दर्ज करने के आदेश हुए थे, लेकिन सेटलमेंट के बाद बनी जमाबंदी में पुखाराम वल्द जोराराम कौम सीरवी के स्थान पर पुखाराम वल्द जोराराम कौम जाट दर्ज कर दिया गया है, जिससे आज दिन तक उक्त नाम से रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त त्रुटि तत्कालीन अधिकारी के सहवन से एवं भूलवश जाट शब्द दर्ज कर दिया गया जबकि सीरवी दर्ज करना चाहिए था। उक्त त्रुटि होने की वजह से उसके बाद जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति जाट के नाम से लगातार दर्ज चली आ रही है, जो गलत दर्ज होने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरस्ती का विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकर्ड की नकल दिनांक 21.07.2022 को प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि पुखाराम पुत्र जोराराम कौम जाट निवासी खोखरा के नाम से दर्ज है। जिस वजह से प्रार्थी के पिता के स्थान पर फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका। राजस्व रेकर्ड में त्रुटि वश सीरवी के स्थान पर जाट शब्द दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में पुखाराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम से रेकर्ड दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार क्षेत्र खोखरा भू.अ.निरीक्षक बगड़ी नगर तहसील सोजत के खसरा संख्या 624 रकबा 1.7200 हैक्टर में प्रार्थी के पिता पुखाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी खोखरा के स्थान पर पुखाराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम से रेकर्ड दुरुस्त किया जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने दिनांक 12.09.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 04 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। पैरा 05 व 06 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार क्षेत्र खोखरा भू.अ.निरीक्षक बगड़ी नगर तहसील सोजत के खसरा संख्या 624 रकबा 1.7200 हैक्टर में प्रार्थी के पिता पुखाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी खोखरा के स्थान पर पुखाराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम से रेकर्ड दुरुस्त किया जाने की ईस्तदुआ की। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरहद मौजा खोखरा के खसरा नम्बर 624 संवत 2075 से 2078, खसरा मिलान खसरा नम्बर 624, खसरा नम्बर 545/77 पुखा पुत्र जोगा, संवत 2010 से 2019 जोगा पुत्र रूगा तथा जमाबंदी सरहद मौजा खोखरा खसरा नम्बर 136 से 141, 211 आदि की प्रमाणित प्रतियां, मृत्यु प्रमाण पत्र पुखाराम आदि दस्तावेजात पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पूर्वज की जाती खसरा मिलान व जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 में सिरवी अंकित थी जो कि पश्चातवर्ती जमाबन्दी चौसाला के समय सेवन से सिरवी अंकित हो गई थी। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार क्षेत्र खोखरा भू.अ.निरीक्षक बगड़ी नगर तहसील सोजत के खसरा संख्या 624 रकबा 1.7200 हैक्टर में प्रार्थी के पिता पुखाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी खोखरा के स्थान पर पुखाराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम रेकर्ड दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार क्षेत्र खोखरा भू.अ.निरीक्षक बगड़ी नगर तहसील सोजत के खसरा संख्या 624 रकबा 1.7200 हैक्टर में प्रार्थी के पिता पुखाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी खोखरा के स्थान पर पुखाराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी खोखरा के नाम रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 17/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)